[2007] 4 एस.सी.आर 468

सरवन सिंह

बनाम

किशन सिंह (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि व अन्य

26 मार्च, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं लोकेश्वर सिंह पंता, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 41, नियम 19-व्यतिक्रम के लिए खारिज की गई अपील को पुनः ग्रहण करना-गुंजाईश-अभिनिर्धारित-अपील को बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया था तो अनुपस्थिति होने के कारणों का संकेत दिया गया था और वे सही हैं-अपील की बहाली को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपील को गुणावगुण के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

मामले की गुणवत्ता पर टिप्पणी करने के बाद दूसरी अपील को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दिया गया। अपील को बहाल करने के लिए आदेश 41, नियम 19 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थिति के कारण प्रार्थना पत्र में उल्लेख किये गये थे। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। इसलिए, वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

जिस समय मामले को सुनवाई के लिए लिया गया था उसमे अनुपस्थित रहने के कारण को बहाली के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया था। यह मामला प्रत्यर्थियों का वकालतनामा दाखिल करने के लिए तय किया गया था। अनजाने में अनुपस्थिति थी और उसी का कारण इंगित किया गया था। उच्च न्यायालय ने संकेतित कारण को किसी भी तरह से गलत या असत्य नहीं पाया है। केवल इसलिए कि अपील को गुणावगुण के आधार पर खारिज कर दिया गया है, जो अपील को बहाल करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्य कर दूसरी अपील को बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 7 और 8] [469-जी-एच; 470-ए-बी, बी-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1583/2007

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (पीठ चंडीगढ़) के सी.एम. संख्या 11092-सी/2004 आर.एस.ए. 4802/2003 में अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 08.11.2004 से।

अजय मजीठिया, राजेश कुमार और डॉ. कैलाश चंद, अपीलार्थी की ओर से।

अरविंद कुमार, लक्ष्मी अरविंद और पूनम प्रसाद उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इन अपीलों में पंजाब वहरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दूसरी अपील को खारिज करने वाले आदेश को वापस लेने के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार से हैंः

4. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील सं. 4802/2003 दायर की जिसमें विद्वान द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कपूरथला द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया गया। उक्त आदेश द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ वर्ग, कपूरथला के आदेश की पुष्टि की। मामला 8.11.2004 पर सूचीबद्ध था। उस दिन अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं था। उच्च न्यायालय ने मामले के गुणावगुण का उल्लेख कर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपील प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई थी।

5. एक प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 19 (संक्षेप में 'संहिता') सहपठित धारा 151 के आधार पर अपील को बहाल कर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने के लिए दायर किया गया था। बहाली के लिए प्रार्थना पत्र में यह बताया गया कि निर्धारित तिथि पर अनुपस्थिति क्यों थी। प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मामला एकल न्यायाधीश के समक्ष मद No.260 पर सूचीबद्ध था। जब मामला बुलाया गया तो अपीलार्थी का विद्वान अधिवक्त माननीय मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष एक अन्य मामले पर बहस कर रहा था। इस मामले में उत्तरदाताओं की भी उपस्थिति होनी बाकि थी। इसलिए सहायक अधिवक्त को अगली तारीख नोट करने के लिए अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। जब तक सहायक अधिवक्त अदालत में पहुँचा, तब तक मामला पहले ही उठाया जा चुका था और अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया और इसके विपरीत बहाली के लिए प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मामले का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया गया था।

6. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि चूंकि मामले का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया गया था, इसलिए आदेश को वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बहाली के प्रार्थना पत्र में अनुपस्थिति के कारण को बताया गया था जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया। यह ध्यान दिया गया कि यह मामला उत्तरदाताओं का वकालतनामा दाखिल करने के लिए तय किया गया था। अनजाने में अनुपस्थिति थी और उसी का कारण इंगित किया गया था। उच्च न्यायालय ने संकेतित कारण को किसी भी तरह से गलत या असत्य नहीं पाया है। केवल इसलिए कि अपील को गुणावगुण के आधार पर खारिज कर दिया गया था, अपील को बहाल करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता था।

8. जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उचित रूप से तर्क दिया है कि कारण जब मामला उठाया गया था तब गैर-उपस्थिति का संकेत दिया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक परिदृश्य सही था। केवल यह तथ्य कि अपील को गुणावगुण के आधार पर खारिज कर दिया गया था, बहाली से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द कर दूसरी अपील की बहाली के निर्देश देते हैं।

9. अपीलों को अनुमति दी गई। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एन. जे.

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी योगेश चन्द यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।